

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा  
(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर०ए०एस० अति०संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 35/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा  
दायरा दिनांक: 26.03.2024  
अन्तर्गत धारा: 76 राज०भू राजस्व अधि०, 1956

उनवान

इन्द्र कुमार आत्मज जानकी लाल जाति धाकड़, निवासी ग्राम मेहराना, तहसील दीगोद, जिला कोटा  
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार सुल्तानपुर, जिला कोटा

... रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट  
पेरोकार सरकार – रेस्पोंड

::निर्णयः

दिनांक 24.12.2024

अपीलांट ने न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं० 23/2022 बउनवान इन्द्रकुमार बनाम राज० सरकार में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2022 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) के विरुद्ध यह द्वितीय अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

- 1 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा पटवारी हल्का ग्राम मेहराना की भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 22/धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट इन्द्रकुमार पुत्र जानकीलाल जाति धाकड़ निवासी मेहराना द्वारा ग्राम मेहराना की आराजी खसरा सं० 165, 159 रकबा 0.05 है० किस्म भूमि गै०मु० बेहड़ पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलांट अतिक्रमण भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित करते हुए 85 रुपये शास्ति से आरोपित किये जाकर अतिक्रमण को मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 27.05.2022 से अपील अपीलांट खारिज की गई। उक्त हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि, न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से अपास्त योग्य हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को बेदखल करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70-80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। किंतु फिर भी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का

*m. k. s.*  
24/12/2024  
[Signature]

- अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की पालना किये बिना ही अपीलांट के विरुद्ध बेदखली के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट के कब्जे वाली आराजी आबादी से घिरी हुई है तथा आबादी के आस-पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के लिये कार्यवाही कर रखी है, किंतु फिर भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर हरदो अधीनस्थ न्यायालय निर्णय निरस्त फरमाया जावे।
- 2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पों को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पों परोकार सरकार सुनी गई।
- 3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों के परिपेक्ष्य में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट को बेदखल करने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। जबकि अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70-80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की पालना किये बिना ही अपीलांट के विरुद्ध बेदखली के आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अपीलांट के कब्जे वाली आराजी आबादी से घिरी हुई है तथा आबादी के आस-पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के लिये कार्यवाही कर रखी है, किंतु फिर भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया जो न्यायोचित नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने का अनुरोध किया।
- 4 रेस्पों परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुए जाहिर किया कि अपीलांट इन्द्रकुमार द्वारा ग्राम महराना की आराजी खसरा सं० 165, 159 रकबा 0.05 है० किस्म भूमि गै०मु० बेहड़ पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित करते हुए 85 रुपये शास्ति से आरोपित किये जाकर मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया है, जो न्यायोचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा भी प्रकरण में अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए जेरअपील निर्णय दिनांक 27.05.2022 पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित उक्त हरदो निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील खारिज की जावे।
- 5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पों परोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा पट्टवारी हल्का ग्राम महराना की भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 22/धारा 91 की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट इन्द्रकुमार पुत्र जानकीलाल जाति धाकड़ निवासी महराना द्वारा ग्राम महराना की आराजी खसरा सं० 165, 159 रकबा 0.05 है० किस्म भूमि गै०मु० बेहड़ पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करना मानते हुए तथा अपीलांट अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित करते हुए

mdep  
24/12/2024  
अति. स. न्यायालय

85 रूपये शास्ति से आरोपित किये जाकर अतिक्रमि को मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा को अपील पेश किये जाने पर प्रकरण में निर्णय दिनांक 27.05.2022 से अपील अपीलांट खारिज की गई। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 एलआरएक्ट की पालना किये बिना ही समुचित रूप से तामील किये बिना ही अपीलांट के विरुद्ध बेदखली के आदेश प्रदान किया गया है। जबकि अपीलांट के कब्जे वाली आराजी आबादी से घिरी हुई है तथा आबादी के आस-पास ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे के लिये कार्यवाही कर रखी है। अपीलांट का अपने पूर्वजों के समय लगभग 70-80 वर्षों से वर्णित आराजी पर निरंतर कृषि कार्य खलिहान के रूप में उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी होने के बावजूद भी बेदखली का आदेश प्रदान कर दिया। इसके विपरित रेस्पोंडेंट परोकार सरकार का तर्क है कि अपीलांट इन्द्रकुमार द्वारा ग्राम महराना की आराजी खसरा सं० 165, 159 रकबा 0.05 है० किस्म भूमि गै०मु० बेहड़ पर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर न्यायालय नायब तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने के संबंध में कोई जवाब साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किये जाने से अतिक्रमी घोषित करते हुए 85 रूपये शास्ति से आरोपित किये जाकर मौके से बेदखली कर अतिक्रमण हटाने का निर्णय दिनांक 29.03.2022 पारित किया गया है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रकरण में अपीलांट को पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट के उपरोक्त तर्कों के संबंध में अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेख एवं जेरअपील निर्णय के अवलोकन पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम अपीलीय न्यायालय अति० जिला कलक्टर, कोटा द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि विचारण न्यायालय ने पटवारी द्वारा अपीलांट के विरुद्ध वाके ग्राम महराना की राजकीय सिवायचक गै०मु०बेहड़ की भूमि खसरा सं० 165, 159 रकबा 0.05 हैक्टेयर पर अतिक्रमण करने पर प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत पश्चात्वर्ती अतिक्रमण का नोटिस जारी किया गया तथा स्वयं अपीलांट/प्रार्थी विचारण न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा उक्त अतिक्रमित भूमि पर मालिकाना हक साबित करने हेतु अपीलांट को अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा द्वारा भी प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर एवं अपने मालिकाना हक साबित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत तामील उपरांत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना प्रकट होता है तथा अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में भी लम्बे समय से कब्जे होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे अपीलांट के कथनों की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 27.05.2022 में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते हैं। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

- 6 निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(ममता कुमारी तिसारी)  
अति० न्यायाधीश आ० न्यायालय  
कोटा